चालीस रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

४०रू. 40RS.

FORTY RUPEES

5 भारत 5 INDIA 5 रुपये SPECIAL ADHESIVE RUPEES FIVE

5 भारत 5 INDIA 5 रुपये SPECIAL ADHESIVE RUPEES FIVE

पट्टा विलेख

यह पट्टा विलेख दिनांक 4/0/2006 को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिसे आगे पट्टा कर्ता कहेगें जिस अभिव्यक्ति में जब तक विषय या संदर्भ से अपवर्जित न हो, पद में उसका उत्तराधिकारी अनुज्ञा अभिहस्तांकिति सम्मिलित है। एक पक्ष और दूसरे पक्ष में केन्द्रीय विद्यालय गंगापुर सिटी जिसे आगे पट्टेदार कहेगें और जिस अभिव्यक्ति में जब तक कि विषय या संदर्भ में अपवर्जित न हो, पद में उसका उत्तराधिकारी जो अभिहस्तांकित सम्मिलित है,के मध्य किया गया है।

यह कि पट्टाकर्ता, नीचे बतायी गयी शर्तों पर पट्टेदार को 99 वर्ष की अवधि के लिये उक्त भूमि का पट्टा प्रदान करने के लिये सहमत हुआ है। अब यह विलेख निम्नलिखित साक्ष्य करता है– शर्तों के अनुरूप

1– यह कि उपरोक्त करार के अनुसरण में पट्टा कर्त्ता एतद्द्वारा कथित भूमि दिनांक 31/10/05 से 99 वर्ष की अवधि के लिये पट्टेदार को पट्टे पर प्रदान की जाती है।

2– यह कि इसके पक्षकार आपस में निम्नानुसार सहमत है:–

(अ) यह कि आवंटन निःशुल्क होगा।

(ब) यह कि पट्टेदार की अवधि 99 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात पट्टाकर्त्ता स्थिति का पुनरावलोकन करेगा और यदि भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये हो रहा है, जिसके लिये आवंटित हुयी है और उसी प्रयोजन के लिये यदि आवश्यक हुआ तो अवधि का आगे 99 वर्ष की अवधि के लिये नवीनीकरण किया जा सकेगा।

3– यह है कि भूमि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये लिया जायेगा, जिसके लिये उसका ऑवटन हुआ है और भवन का निर्माण 6 माह के भीतर आवश्यक रूप से प्रारम्भ कर दो वर्ष के भीतर भवन का सनिर्माण के पूर्ण करने के लिये और उसे उस प्रयोजन के लिये उपयोग में लाने के लिये उत्तरदायी होगा जिसके लिये उक्त भूमि को आवंटित किया गया है।

उप पंजीयक
सवाई माधोपुर

प्राचार्य/Principal
केन्द्रीय विद्यालय/Kendriya Vidyalaya
गंगापुर सिटी (राज)/Gangapur City (Raj.)
पिन/Pin 32220

6

40 Rs.

चालीस रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

४०रु. FORTY RUPEES 40RS

5 भारत 5 SPECIAL ADHESIVE RUPEES FIVE

5 भारत 5 SPECIAL ADHESIVE RUPEES FIVE

13 JUL 2006

4— यह कि भूमि राज्य सरकार में निहित होगी।

5— यह कि आवंटित भूमि पर निर्मित भवन का उपयोग जनता के लाभ के लिये किया जावेगा आवंटित भूमि और उस भूमि पर निर्मित भवन का किसी भी रूप में विक्रय उप पट्टे पर दिया जाना या अन्तरण, आवंटन प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं किया जावेगा।

6— आरक्षित भूमि का उपयोग पुनः इस कार्यालय से आंवटित कराने पर किया जावेगा।

7— यह है कि उपरोक्त शर्तो में से किसी शर्त का उल्लघंन होने की दशा में उस भूमि पर बने हुये निर्माण कार्य सहित बिना किसी क्षतिपूर्ति के राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।

8— यह कि ग्राम डिबस्या में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1146 रकवा 11.46 हैक्टेयर किस्म चरागाह में से 4.00 हैक्टेयर (16 बीघा भूमि) वाके ग्राम डिबस्या में शब्दो में चार हैक्टेयर (सोलह बीघा) जमीन आवंटित की गयी है। आदेश की प्रति संलग्न है। इन शर्तो में इसके पक्षकारों ने इस विलेख पर उपरोक्त वर्ष तथा दिनांक को हस्ताक्षर कर दिया है।

राज्य सरकार की ओर से

हस्ताक्षर 28/7/06

पटटेदार— लक्ष्मण राम मीना,
प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय गंगापुर सिटी

PRINCIPAL/प्राचार्य
Kendriya Vidyalaya/केन्द्रीय विद्यालय
Gangapur City/गंगापुर सिटी
(राजस्थान) 322201

जिला कलेक्टर 2.8.06
सवाई माधोपुर
(राज0)

साक्षी—1 श्री जी0एस0 मीना (प्राथमिक शिक्षक)

साक्षी—2 श्री नन्दलाल सैनी (वरिष्ठ लिपिक)

प्राचार्य/Principal
केन्द्रीय विद्यालय/Kendriya Vidyalaya
गंगापुर सिटी (राज.)/Gangapur City (Raj.)
पिन/Pin 322201

(146)

नकल नक्शा ट्रेस ग्राम डिकस्या
तह. गंगापुर सिटी

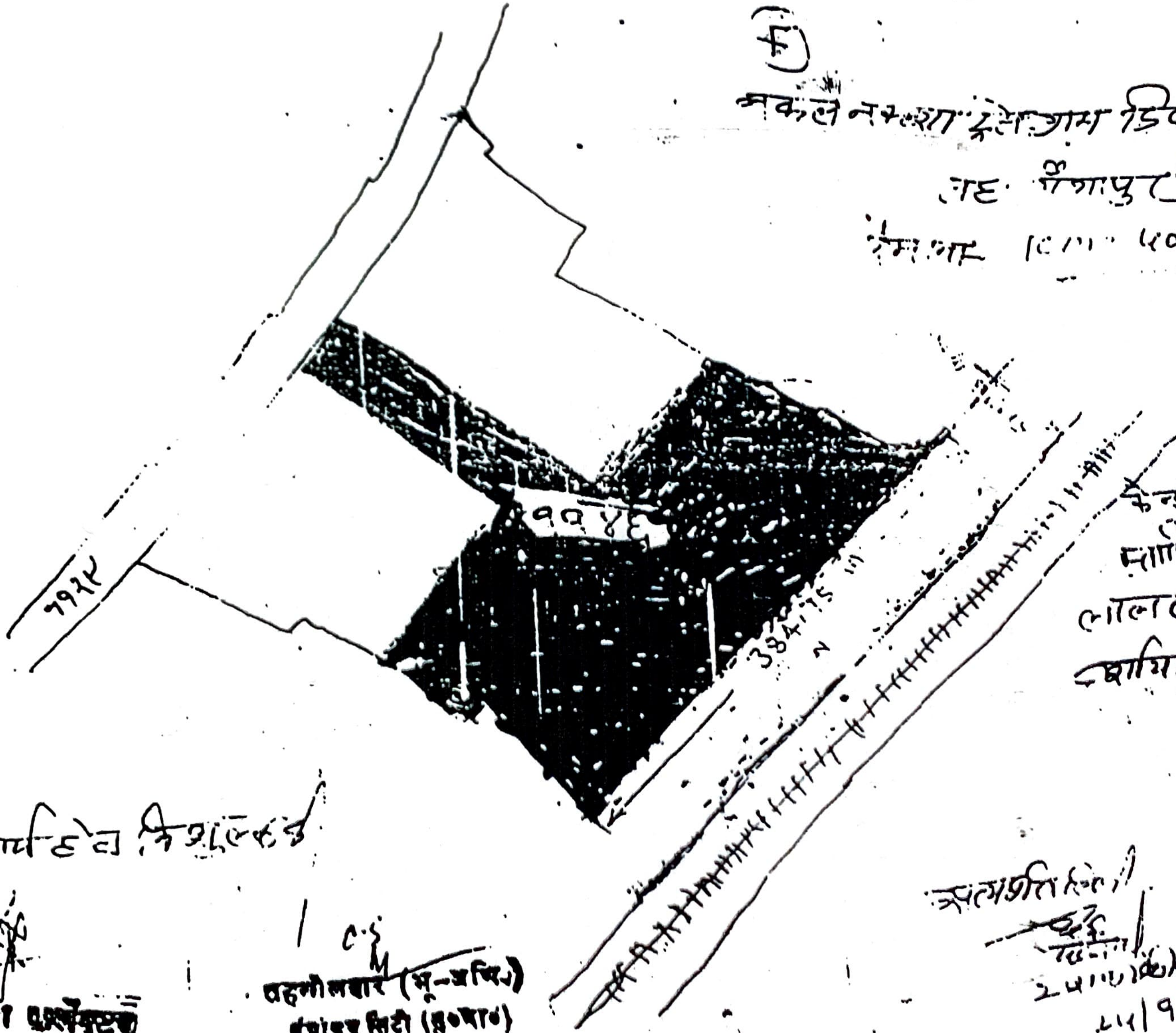

राजस्व रिकार्ड से मिलान किया

सत्यप्रतिलिपि
25/9/05

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

तहसीलदार (भू-अभि.)
गंगापुर सिटी (राज.)

उप पंजीयक
गंगापुर सिटी (स. मा.)

प्राचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
गंगापुर सिटी

प्राचार्य/Principal
केन्द्रीय विद्यालय/Kendriya Vidyalaya
गंगापुर सिटी (राज.)/Gangapur City (Raj.)
पिन/Pin 32220*